छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

क्रमांक एफ

अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर
जिला (समस्त)
छत्तीसगढ़

विषय :– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के क्रियान्वयन बाबत्।

--

विषयान्तर्गत लेख है कि लघु एवं सीमांत किसान परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना प्रारंभ की गई है। योजना की प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है :–

1. परिवार

योजना अंतर्गत "परिवार" से आशय है – "पति, पत्नि और उसके नाबालिग बच्चें।"

2. लघु एवं सीमांत भूमि स्वामी किसान परिवार

योजना अंतर्गत "लघु एवं सीमांत भूमि स्वामी किसान परिवार" से आशय है :–

"ऐसा परिवार जो भू–अभिलेखों में अंकित प्रविष्टि के अनुसार दो हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि धारण करता है।"

टीप :–

I. यदि एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों के द्वारा भूमि धारण की जाती है, तो परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा धारित भूमियों के क्षेत्रफल को जोड़कर परिवार द्वारा धारित कुल क्षेत्रफल की गणना की जावेगी।

II. यदि परिवार यां परिवार के सदस्यों के द्वारा एक से अधिक ग्रामों में भूमि धारण की जाती है, तो परिवार एवं उनके सदस्यों के द्वारा सभी ग्रामों में धारित भूमि के क्षेत्रफल को जोड़कर परिवार द्वारा धारित कुल भूमि की गणना की जावेगी।

Scanned by CamScanner

III. यदि परिवार के अलग-अलग सदस्यों द्वारा धारित भूमि का क्षेत्रफल दो हेक्टेयर से कम है, परन्तु परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित कुल भूमि का क्षेत्रफल दो हेक्टेयर से अधिक है तो वह परिवार लघु एवं सीमांत किसान परिवार के अंतर्गत नहीं माना जावेगा।

IV. यदि परिवार के द्वारा अलग--अलग ग्रामों में धारित भूमि का क्षेत्रफल दो हेक्टेयर से कम है, परन्तु उस परिवार एवं उसके सदस्यों द्वारा सभी ग्रामों में धारित भूमि का क्षेत्रफल दो हेक्टेयर से अधिक है, तो वह परिवार लघु एवं सीमांत किसान परिवार नहीं माना जावेगा।

3. पात्रता

निम्नांकित परिवारों को योजना अंतर्गत लाभार्थी परिवार माना गया है :–

I. लघु एवं सीमांत भूमि स्वामी किसान परिवार जिनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

II. यदि दो या दो से अधिक परिवार राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से भूमि धारण करते हैं तो काल्पनिक बंटवारा पर जिन परिवार/परिवारों के पास दो हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम भूमि धारण करते हैं, में से प्रत्येक परिवार को पृथक–पृथक लाभार्थी परिवार माना जाएगा। इस संबंध में स्पष्टीकरण के उद्देश्य से कुछ उदाहरण परिशिष्ट 1 में संलग्न है।

III. 01 फरवरी 2019 की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट परिवार ही योजना अंतर्गत लाभार्थी परिवार होंगे, परन्तु 01 फरवरी 2019 के पूर्व हुए अंतरण जिनके संबंध में राजस्व अभिलेख अद्यतन नहीं हुए हैं, के संबंध में राजस्व अभिलेख में बाद में सम्मिलित हुए लाभार्थी परिवार को योजना का लाभ दिया जाएगा। 01 फरवरी 2019 के पश्चात् भूमि स्वामी की मृत्यु पर उत्तराधिकार में हुए अंतरण को छोड़कर अन्य अंतरण के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट किये गये परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4. अपवर्जन

निम्नांकित में से एक या एक से अधिक वर्गों में आने वाले लघु एवं सीमांत भूमि स्वामी किसान परिवार को योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा :–

I. समस्त संस्थागत भू–धारक।

II. यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य पूर्व/वर्तमान में संवैधानिक पद धारण करता था/है।

Scanned by CamScanner

III. यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य केन्द्रिय मंत्री/राज्य मंत्री/लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य/राज्य विधान सभा के सदस्य/नगर निगम के महापौर/जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद धारण करते हैं या पूर्व में धारण करते थे।

IV. यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रम/राज्य या केन्द्र सरकार के स्वायत्त संस्था/स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं। (चतुर्थ श्रेणी एवं ग्रुप डी के कर्मचारी के छोड़कर)

V. यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रम/राज्य या केन्द्र सरकार के स्वायत्त संस्था/स्थानीय निकाय के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनके मासिक पेंशन रूपये 10000/- या उससे अधिक है। (चतुर्थ श्रेणी एवं ग्रुप डी के कर्मचारी के छोड़कर)

VI. यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य गत वित्तीय वर्ष में इन्कम टैक्स अदा किया हो।

VII. यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य डॉक्टर/इंजीनियर/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट्स जैसे व्यवसाय में पंजीकृत हो।

VIII. यदि भूमि का उपयोग गैर कृषि प्रयोजन हेतु किया जा रहा हो।

5. राशि का हस्तांतरण

I. योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को रूपये 6000/- की राशि तीन समान किस्तों में प्रदाय की जावेगी।

II. योजना अंतर्गत राशि राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट परिवार के मुखिया के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित की जावेगी।

III. यदि राजस्व अभिलेख में दो या दो से अधिक परिवारों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तो :-

a. संयुक्त खाते में दर्ज परिवारों में से जिस परिवार के स्वामित्व में अधिक रकबे की भूमि है, के बैंक खाते में राशि डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित किये जाएंगे।

Scanned by CamScanner

b. यदि संयुक्त खाते में दर्ज परिवार में से प्रत्येक परिवार, समान रकबे की भूमि का भूमि स्वामी हो, तो संयुक्त खाते के वरिष्ठ या वरिष्ठतम सदस्य के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जायेगी।

6. अनिवार्यता

I. लाभार्थी परिवार को योजना का लाभ उसी समय दिया जा सकेगा जब उस लाभार्थी परिवार के संबंध में निम्नांकित जानकारी भारत सरकार के पोर्टल में अपलोड किया जावे :–

a. राजस्व अभिलेख में दर्ज मुखिया का नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी में।

b. मुखिया का आधार नंबर।

c. मुखिया का जेंडर।

d. मुखिया का वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)।

e. मुखिया का बैंक खाता नंबर एवं बैंक का नाम।

f. बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड।

II. कंडिका–6 (I) में वर्णित अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक जानकारी लाभार्थी परिवार के संबंध में एकत्रित किया जाना भविष्य में योजना के क्रियान्वयन के लिये उपयुक्त होगा :–

a. मुखिया को मोबाईल नंबर।

b. मुखिया का जन्मतिथि/उम्र।

c. परिवार द्वारा धारित कुल भूमि।

d. परिवार द्वारा धारित भूमि का विवरण।

e. परिवार का पता।

III. योजना अंतर्गत प्रथम किस्त के भुगतान के लिये आधार नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु बिना आधार नंबर के द्वितीय एवं आगे की किस्त प्रदान नहीं की जाएगी। प्रथम किस्त के लिए आधार नंबर उपलब्ध नहीं होने पर वैकल्पिक आई.डी.प्रूफ जैसे– वोटर आई.डी.क्रमांक, ड्राईविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में से कोई एक आई.डी.प्रूफ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

Scanned by CamScanner

7. योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले "लघु एवं सीमांत भूमि स्वामी किसान परिवार" का चिन्हांकन

I. भुईंया साफ्टवेयर के माध्यम से ग्रामवार दो हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम भूमि धारण करने वाले खातेदारों की सूची भुईंया साफ्टवेयर में प्रतिवेदन मेन्यू के अंतर्गत ग्रामवार उपमेन्यू में PMKSNY के संभावित हितग्राही के नाम के लिंक में उपलब्ध कराया गया है। जिसे हल्का पटवारी अपने यूज़र आई. डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

II. राजस्व अभिलेखों में भूमि की स्वामित्व की जानकारी व्यक्तिवार/सर्वेक्षण संख्यांकवार होता है। राजस्व अभिलेख में भू स्वामित्व की जानकारी परिवारवार संधारित नहीं की जाती है। अतः भुईंया साफ्टवेयर के माध्यम से कंडिका 7 (I) के अनुसार प्राप्त सूची एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा धारित खातों के संबंध में जानकारी अलग–अलग वर्णित होंगे, जिन्हें कंडिका 1 से 4 में अंकित प्रावधानों के अनुसार परिवारवार करने की आवश्कता होगी। परिवारवार करने का कार्य सूची पर प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण के समय भी किया जा सकता है। परिवारवार कुल धारित रकबे की जानकारी संकलित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति/संस्था के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा। यह कार्य हल्का पटवारी गांवों में सूची के सत्यापन करते समय स्वमेव करना होगा।

III. राजस्व अभिलेख में दो या दो से अधिक परिवारों द्वारा दो हेक्टेयर से अधिक भूमि धारण करने संबंधी भी संयुक्त खाते हो सकते हैं। कंडिका 7 (I) के अनुसार प्राप्त सूची केवल दो हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम खाते वाले खातों को ही सम्मिलित किया गया है। अतः सूची के सत्यापन कार्य के समय दो हेक्टेयर से अधिक रकबा के संयुक्त खातों की भूमि के संबंध में यह परीक्षण कर लिया जावे कि ये खातें दो या दो से अधिक परिवारों की संयुक्त खाता तो नहीं है। यदि संयुक्त खाता दो या दो से अधिक परिवारों का पाया जाता है तो प्रत्येक परिवार के संबंध में योजना अंतर्गत पात्रता का निर्धारण किया जावे तथा उस खाते के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या में तदनुसार प्रविष्ट किया जावे।

IV. भुईंया साफ्टवेयर से प्राप्त सूची का या तो सीधे प्रकाशन कर या कंडिका 7 (II) या 7 (III) में वर्णित निर्देश अनुसार सूची का प्रकाशन कर दावा आपत्ति प्राप्त करें। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं स्थानीय जांच जैसा कि तहसीलदार उचित समझे करते हुए प्रत्येक ग्राम के लिए योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले "लघु एवं सीमांत भूमि स्वामी किसान परिवार" की सूची तैयार की जावे।

Scanned by CamScanner

V. कंडिका 7 (III) के अनुसार तैयार सूची में वर्णित परिवार के संबंध में प्रत्येक परिवार के मुखिया या मुखिया के अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य से संलग्न परिशिष्ट 2 के अनुसार स्व घोषणा पत्र प्राप्त करें। स्व घोषणा पत्र प्राप्त करने का कार्य दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि के मध्य ही किया जा सकता है। परिवार के मुखिया/सदस्य द्वारा दिये गये स्व घोषणा पत्र में अंकित जानकारी के आधार पर प्रत्येक परिवार के संबंध में कंडिका 6 (I) एवं 6 (II) में वर्णित जानकारी के साथ प्रत्येक ग्राम के लिए लाभान्वित परिवार की सूची तैयार कर PM-KISAN पोर्टल में अपलोड किया जावे। साथ ही स्व घोषणा पत्र के आधार पर प्राप्त जानकारी भुईंया साफट्वेयर में उपलब्ध कराये गये लिंक के माध्यम से भुईंया साफट्वेयर में प्रविष्ट करें।

VI. प्रत्येक ग्राम के लिए कंडिका 6 (I) एवं (II) में वर्णित जानकारी के साथ तैयार किये गये लाभान्वित परिवार की सूची डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सत्यापित करने के उपरान्त ही PM-KISAN पोर्टल में अपलोड तथा आवश्यकतानुसार डाटा एन्ट्री का कार्य करें।

8. स्व घोषणा पत्र

योजना अंतर्गत निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में लाभार्थी परिवार के मुखिया की ओर से संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट 2) में स्व घोषणा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा :—

I. लाभार्थी परिवार योजना अंतर्गत निर्धारित अपवर्जन की श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है।

II. उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा राज्य में धारित संपूर्ण कृषि भूमि का क्षेत्रफल दो हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम है।

III. उनके परिवार के द्वारा भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है तथा संपूर्ण रूप से गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है।

IV. उनके द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उन्हें प्रदाय किये गये राशि की वसूली के साथ—साथ उनके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

9. योजना के पर्यवेक्षण

I. राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिये राजस्व विभाग को नोडल विभाग नामांकित किया गया है। राजस्व विभाग के द्वारा योजना का क्रियान्वयन कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख के माध्यम से क्रियान्वित किया जावेगा। राज्य स्तर पर इस योजना के लिये श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त आयुक्त भू–अभिलेख कार्यालय (मोबाईल नंबर – 9993116811) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

II. योजना के समुचित एवं समय सीमा में क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर संयुक्त कलेक्टर या अपर कलेक्टर को योजना अंतर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे। नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर की सूचना राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी श्रीमती हिना अनिमेष नेताम को उपलब्ध कराया जावे।

III. जिला एवं तहसील स्तर पर योजना के समुचित पर्यवेक्षण तथा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाले शिकायतों के निराकरण के लिये शिकायत निवारण पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जावे। उपरोक्त समिति उन्हें प्राप्त होने वाले शिकायतों का यथासंभव दो सप्ताह के समय सीमा के भीतर शिकायतों का गुणदोष के आधार पर निराकरण करेंगे।

10. समय सीमा

योजना अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रथम किस्त के भुगतान हेतु लाभार्थी परिवार की ग्रामवार सूची तैयार करते हुए लाभार्थी परिवारों की सूची पैरा 6 में वर्णित अनिवार्य जानकारी के साथ PM KISAN पोर्टल में दिनांक 25 फरवरी 2019 तक अपलोड किया जाना है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

15-2-19

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट 1

—: प्रधानमंत्री सम्मान निधि अंतर्गत परिवार की पात्रता निर्धारण हेतु विविध उदाहरण :—

क्रमांक	परिस्थिति	पात्रता
1	राजस्व अभिलेख के आधार पर यदि अकेले परिवार के स्वामित्व में 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है।	निरंक
2	पांच परिवारों के द्वारा राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारित की जाती है।	पांचों परिवार को रूपये 6000/– की पात्रता होगी।
3	12 परिवारों के द्वारा राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से 16 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारण की जाती है तथा 12 परिवारों में से 04 परिवारों के स्वामित्व में 01–01 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि तथा अन्य 08 परिवारों के स्वामित्व में 1.5–1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है।	सभी 12 परिवारों को रूपये 6000/– की पात्रता होगी।
4	किसी परिवार के द्वारा अलग–अलग स्थानों/गांवों में कृषि योग्य भूमि धारण की जाती है तथा सभी धारित कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर है।	परिवार को योजना अंतर्गत रूपये 6000/– प्राप्त करने की पात्रता होगी।
5	किसी परिवार के द्वारा अलग–अलग स्थानों/गांवों में कृषि योग्य भूमि धारण की जाती है तथा सभी धारित कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर है।	निरंक
6	04 परिवारों के द्वारा राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारण की जाती है। 04 परिवारों में से 01 परिवार के स्वामित्व में से 5.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि तथा शेष 03 परिवारों के स्वामित्व में 1.5–1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है।	5.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व वाले परिवार को योजना अंतर्गत पात्रता नहीं होगी तथा शेष 03 परिवारों में प्रत्येक परिवार को योजना अंतर्गत रूपये 6000/– की पात्रता होगी।
7	05 जनवरी 2019 को स्वामित्व के अंतरण के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में 04 फरवरी 2019 को अभिलेख दुरूस्त किया जाता है।	योजना अंतर्गत पात्रता पूर्ण करने पर प्रथम किस्त के लिए 02 माह 25 दिन के लिए आनुपातिक रूप से पात्रता होगी।
8	05 फरवरी 2019 को स्वामित्व में उत्तराधिकारी को छोड़कर अन्य प्रकार से हुए अंतरण के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में 20 फरवरी 2019 को अभिलेख दुरूस्त किया जाता है।	निरंक
9	05 फरवरी 2019 को स्वामित्व के अंतरण में उत्तराधिकारी के कारण राजस्व अभिलेखों में 20 फरवरी 2019 को अभिलेख दुरूस्त किया जाता है।	योजना अंतर्गत पात्रता पूर्ण करने पर पात्रता होगी।
10	एक पुरूष/महिला के द्वारा 1.5 हेक्टेयर भूमि धारण किया जाता है तथा उस पुरूष/महिला की पत्नि/पति इस योजना के अपवर्जन की श्रेणी में आते हैं।	निरंक

टीप :– उपरोक्त उदाहरण केवल पात्रता को समझाने के उद्देश्य से दिया गया है। फिल्ड में कार्य करते समय उपरोक्त उदाहरणों से भी भिन्न परिस्थितियां हो सकती है, अतः जैसी भी परिस्थिति जांच में सामने आये पात्रता के निर्धारण कंडिका 1 से 4 में वर्णित निर्देश के अनुसार किया जावे।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ

इन्द्रावती भवन, प्रथम तल ब्लॉक नं.–02, अटल नगर

फोन नं. 0771–2234583, 2234584, 2234578, फैक्स 0771–2237480, 0771–2234579, ई–मेल : clr-cg@nic.in

क्रमांक /2064/आ.भू.अ./सा./पी एम–किसान/1/॥ अटल नगर, दिनांक 10-06-2019

प्रति,

कलेक्टर
जिला– समस्त
छत्तीसगढ़

विषय :– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश में परिवर्तन के संबंध में।

संदर्भ:– भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 1–4/2019–FWS-11 दिनांक 07 जून 2019.

––00––

कृपया संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन दिशा निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त योजना के अंतर्गत पात्रता मापदण्ड में परिवर्तन किया गया है। नवीन मापदण्ड में लाभार्थी किसान परिवार हेतु 05 एकड धारित कृषि भूमि की अधिकतम सीमा को समाप्त करते हुए समस्त किसान परिवार जिसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा अपवर्जन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते है, को लाभार्थी किसान परिवार माना गया है। अतः नवीन दिशा निर्देश अनुसार समस्त ग्रामों में मुनादी कराकर नवीन लाभार्थी किसान परिवारों से जानकारी प्राप्त कर भुइयां PM-KISAN मीनू में यथाशीघ्र अपलोड कराने का कष्ट करें। जिससे की उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सकें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

संचालक
भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
अटल नगर रायपुर

पृ.क्रमांक / /आ.भू.अ./सा./पी एम–किसान/1/॥ अटल नगर, दिनांक...........

प्रतिलिपि –

1. संभागीय आयुक्त, संभाग रायपुर/दुर्ग/बस्तर/बिलासपुर/सरगुजा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय उपायुक्त भू–अभिलेख, रायपुर/बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
अटल नगर रायपुर

ASLR-I
Circulate

D:\05\Manoj.Docx

Scanned by CamScanner